FTS:-18712

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं.–01, सैक्टर– नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नौएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, उ.प्र.

पत्रांक–ग्रेनो / बिल्डर्स / 2020 / 782
दिनांक 03 फरवरी, 2020
/03/

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की फ्रीहोल्ड परिसम्पत्तियों के लिए नामान्तरण प्रकिया बनाये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के कम में प्रस्ताव प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या– अनु0–1–117 / 2 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त उ0प्र0 आवास विकास प्राधिकरण में प्रचलित नीति के बिन्दुओं का समावेश करते हुए प्राधिकरण की फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों के नामान्तरण की संशोधित व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

फ्रीहोल्ड सम्पत्ति के आवंटी की मृत्योपरान्त नामान्तरण–

प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्रीहोल्ड भूखण्ड पर नामांतरण हेतु दाखिल खारिज निम्न प्रपत्र प्रार्थना–पत्र के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे–

- ऑनलाईन आवेदन निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा।
- नामांतरण प्रोसेसिंग शुल्क–रू. 1000 / –का भुगतान प्राधिकरण में ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा।
- मृत्यु प्रमाण–पत्र
- वारिसान प्रमाण–पत्र
- स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र
- सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी कर का भुगतान एवं पॉवर आफ अटार्नी के माध्यम से है, तो कर की रसीद भी उपलब्ध करानी होगी। (यदि लागू हो)
- पॉवर ऑफ अटार्नी की प्रति।
- नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक स्टाम्प पेपर संलग्न करने होंगे (प्राधिकरण में स्टाम्प के स्थान पर एकमुश्त राशि देय होगी)।
- विकय पत्र वर्तमान व पूर्व में निष्पादित किया हुआ।
- निष्पादित रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र।
- शपथ–पत्र मय आवश्यक स्टाम्प पेपर के साथ।
- वर्तमान सम्पत्ति कर की रसीद। (यदि लागू हो)
- आधार / वोटर कार्ड की प्रति।
- विज्ञापन का प्रकाशन आवेदक द्वारा अपने खर्चे पर प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समाचार पत्रों में कराया जायेगा एवं समाचार पत्र की मूल प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत की जायेगी।
- प्राधिकरण द्वारा नियोजन विभाग में दाखिल किये गये नक्शे (बिल्डिंग प्लान) से भी मिलान किया जायेगा।

विकय की स्थिति में नामांतरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र–

- नामांतरण हेतु स्टाम्प लगा हुआ प्रार्थना पत्र।
- निष्पादित रजिस्ट्रीकरण प्रपत्र वर्तमान व पूर्व के।
- निष्पादित विकय प्रपत्र।
- प्रार्थना पत्र स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक स्टाम्प के साथ(प्राधिकरण में स्टाम्प के स्थान पर एकमुश्त राशि देय होगी)।
- समस्त देय सम्पत्ति कर की जमा रसीदें।
- आधार / वोटर कार्ड की प्रति

- नामांतरण शुल्क– स्टाम्प शुल्क जिस मूल्य पर लिया जाता है, उस मूल्य का 1 प्रतिशत लिया जायेगा। जिसका भुगतान प्राधिकरण के अधिकृत बैंक में चालान से किया जायेगा।
- प्राधिकरण द्वारा नियोजन विभाग में दाखिल किये गये नक्शे (बिल्डिंग प्लान) से भी मिलान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त फ्रीहोल्ड परिसम्पत्तियों का नामान्तरण किया जा सकेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रबंधक (सिस्टम) को प्राधिकरण की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/02/2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी